न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द

बनाम मांगुगिरी ..... विपक्षी सरकार

क्रम मुकदमा नामान्तरण अपील पत्रावली संख्या 35/12 पद

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	वादी-पक्ष को सुना गया। पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत आपसी राजीनामे में यह तथ्य अंकित किया कि "अपीलांट एवं रेस्पो० के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा हो गया है, जिसके अनुसार अपीलांट की अपील रेस्पो० स्वीकार करते है तथा अपीलांट विक्रय पत्र दि० 19.09.2011 के अनुसार विक्रय-पत्र में पैतृक कृषि को अपने नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी होगा तथा रेस्पो० अथवा उसके उत्तराधिकारी इस संबंध में भविष्य में किसी प्रकार की कोई उज्र या बाधा नहीं करेंगे। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को स्वीकार फरमाते तथा रेस्पो० गिरधारी द्वारा अपीलांट मांगुगिरी के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र दि० 19.09.11 के अनुसार नामान्तरण अपीलांट के नाम खोले जाने का आदेश फरमावें। अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत आपसी राजीनामा स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट को उक्त आपसी राजीनामा के अनुसार स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार, नाथद्वारा आदेश दि० 26.11.2012 को स्वीकार कि गये नामान्तरण सं. 228 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार, नाथद्वारा को आदेशित किया जाता है कि रेस्पो० श्री गिरधारी द्वारा अपीलांट श्री मांगुगिरी के पक्ष में निष्पादित विक्रय-पत्र दि. 19.09.2011 के अनुसार नामान्तरण अपीलांट के नाम खोला जावें। अपीलांट तहसीलदार, नाथद्वारा के समक्ष उक्त निष्पादित विक्रय-पत्र का नामान्तरण हेतु पेश करें। पक्षकारान अपने अपने खर्चे वहन करेंगे। पक्षकारान को आदेश सुनाया गया।	न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)